बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 26/3/12

संचिका संख्या-17/एस0सी0पी0-03/2011- 419 (17) /स्वा0 राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में कार्यरत **आहारविद** को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन **(ए0सी0पी0)** का लाभ देने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना ज्ञाप संख्या-3 एम-2-5वे0पू0-28/99-4685 वि0(2) दिनांक 25.06.03 एवं ए0सी0पी0 संशोधन नियमावली-2006 वित्त विभागीय ज्ञापांक 1802(वि0) दिनांक 23.03.06 के आलोक में 12 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के फलस्वरूप कॉलम-5 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान 6500-10,500/-रू0 में प्रथम वृत्ति उन्नयन एवं 24 वर्षो की लगतार सेवापूरी करने के फलस्वरूप कॉलम-6 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान 7400-11,500/-रू0 में द्वितीय वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ उच्चतर वेतनमान तक ही सीमित है और इसके अधीन संबंधित सरकारी सेवक को उच्चतर वेतन के पदनाम, कर्त्तव्य और दायित्व प्राप्त नहीं होगें ।

3. सरकारी सेवक स्कीम के अधीन मंजूर किये गये उच्चतर वेतनमान के आधार पर सेवा निवृत्ति / सेवान्त आर्थिक लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

4. किसी वरीय कर्मी को इस आधार पर कोई वित्तीय वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा कि उसकी श्रेणी में उससे कनीय कर्मी स्कीम के अधीन उच्चतर वेतनमान में वेतन पा रहे है ।

5. झारखण्ड राज्य में पूर्व से पदस्थापित **आहारविद** एवं अंतिम कैडर बॅटवारा में झारखंड के लिए आवंटित **आहारविद** पर यह लागू नहीं होगा ।

6. महालेखाकार प्राधिकार पत्र निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी कर्मी विभागीय दायित्वों को पूरा करते है तथा 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चूके हैं ।

7. परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न विवरणी में अंकित 02 (दो) **आहारविद** के संबंध में महालेखाकार /वित्त विभाग/प्रशासी विभाग/निगरानी या अन्य स्रोत्रों से किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित **आहारविद** को प्रदत्त सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली एक मुस्त कर ली जायेगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Sd/- 26/03/12

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-17/एस0सी0पी0-03/2011- 419 (17) /पटना, दिनांक- 26/3/12

प्रतिलिपि- महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । महालेखाकार प्राधिकार पत्र निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संबंधित **आहारविद** को ए0सी0पी0 योजना की अनुमान्यता की समस्त अर्हताऍ पूरी करते है ।

Sd/- 26/03/12

सरकार के अपर सचिव ।

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना/ संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव /मुख्य सचिव-सह-परामर्शी बिहार के सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / अपर सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक /अवर सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार /संबंधित **आहारविद,** चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-1, 3 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

28/03/12

सरकार के अपर सचिव ।

परिशिष्ट-"क"

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के आहारविद को सुचिश्चित वृत्ति उन्नयन की सूची -

क्र0	आहारविद का नाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रथम नियुक्ति / योगदान की तिथि	प्रथम ए0सी0पी0 की देय तिथि	द्वितीय ए0सी0पी0 की देय तिथि
1	2	3	4	5	6
	आहारविद				
1	श्री अशोक कुमार यादव, आहारविद	NMCH	16.05.1989 16.05.1989	**16.05.2001**	-
2	डा0 गिरिन्द्र मोहन कुमार आहारविद	PMCH	17.11.1983 28.11.1983	**09.08.99**	**28.11.07**

419(17)
26/3/12

Sd/-
28/03/12

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव ।